### Form-I (for linear projects Office of the District Collector Kangra at Dharmshala

No. 366 /DRA

Dated: 03 02 2020

#### TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF),Govt.of India's letter No.11-9/98-FC(pt.)dated 3<sup>rd</sup> August,2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights)Act,2006 (FRA,for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF's letter dt 5<sup>th</sup> Feburary 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0-22-20 Hectares** situated in Mohal Soldha, Tehsil Jawali Distt. Kangra, of forest land proposed to be diverted in favour of HPPWD (Jawali Division) for construction of link road from Safeda Mor to Dhiman Basti (KM 0/0 to 0/500) in the state of H.P in Tehsil Jawali falls within the jurisdiction of Nurpur Forest Division.

#### It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0-22-20 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Divisional Level Committee(s) and the District Committee are enclosed as annexures. As per report received from Gram Panchyat, Soldha, and SDO (C) Jawali there are no claims pending under them from anyone as per Scheduled Tribes and forest dwellers act 2006.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha has given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized right of primitive Tribal group and pre agriculture communities.

District Collector Kangra at Dharamshala

#### OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT KANGRA (H.P.)

Proceedings of the meeting of the Disstrict Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights )Act (FRA), 2006.

A meeting of the Disstrict Level Committee of Kangra District, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Shri Raghav Sharma, I.A.S, Deputy commissioner, Kangra on 28-01-2020 at 11.00 AM at Dharamshala in which the applications of the applicants of Gram Sabha Soldha, claiming rights in 0-22-20 hectare forest area under FRA, 2006, duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee, Jawali, were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the claim of following applicants were found to be in order and hence admitted :-

S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right
	y anyone		
Claims of	following applicants were	not found in order a	nd hence rejected :- (Not applicable)
S.No	Name of Applicant*	Name of Forest	Details of forest right
		OR	

As informed by SDO (Civil) Jawali, no application was received from Soldha Gram Sabha claiming rights in 0-22-20 hectare forest area.

Place: Dharamshala

No : 367 /DRA Dated : 03/02/2020

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Forest Rights Committee

\*Name of the local people who have applied for admission of rights in the said forest area.

## OFFICE OF THE SUB DIVISIONAL OFFICER (C) JAWALI DISTT, KANGRA H.P.

To

The Deputy Commissioner

Kangra at Dharmshala (H.P)

No 37 SDK/ J/ Dated:- 10-01-2020

Subject:- (1) Certified regarding implementation of section 3 sub- section 2 of forest Right Act, 2006 (Forest Dweller certificate (FRA).

Sir

The one Forest Case has been prepared by Executive Engineer Jawali Division HPPWD Jawali. The case scrutinized in the Sub Divisional committee. You are therefore requested the necessary certificate may please be issued.

Sr. No	Name of Road.
1	Construction of link Road from safeda mohar to Dhiman Basti k.m. 0/0
1 -	to 0/500 under H.P.Forest Division Nurpur in tehsil Jawali District Kangra
	(H.P.)

Sub Divisional Officer(C)

Jawali Distt.Kangra(H.P)



संख्या:-......../का० का० /2019 दिनॉक / )-12-2019 कार्यालय नायव तहसीलदार उप तहसील कोटला जिला कांगडा (हि॰ प्र॰) Email:- tehkot-kan-hp@gov.in L.L.01892-236071, Mob. 9816453100

प्रेषित.

उप मण्डलाधिकारी (ना०)

ज्वाली

जिला कांगडा (हि0 प्र0)

विषय :- Regarding Diverson of forest land for the Construction of road under F.R.A,2006 .

महोदय,

उपरोक्त विषय सहायक अभियन्ता लो० नि० वि० मण्डल कोटला से दस्ती प्राप्त प्रकरण प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि महाल व मौजा सोहलदा उप तहसील कोटला जिला कॉगडा में भूमि खसरा न0 1176/1 व 1182/1 किता 2 रकवा तादादी 00.22.20 है० मी० किस्म गल बिला सिफत मलकियती सरकार हिमाचल प्रदेश कब्जा वन विभाग तावे वर्तन वर्तनदारान रिजर्व पूल में प्रस्तावित सडक सफेदा मोड से धीमान वस्ती कि० मी० ०/० से 500 कि० मी० तक बनाई जानी हैं जिस बारे वांछित औपचारिकता वावत F.C.A-1980 पूर्ण करके मूल मिसल प्रस्तावना तैयार करके आगामी आदेश हेतू सेवा में प्रेषित हैं।

सलान- पूल कितल

भवदीय,

र्**भिर्में के बिल्ल**लदार **K<del>ए</del>कि तहसील कोटला** 

पृष्टांकन संख्या प्रतिलिपि:-सेवा भे

दिगाक

(1) सहायक अभियन्ता लोठ निठ विठ उपमण्डल कोटला को सूचनार्थ प्रस्तुत करके अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायलय में I.A No 3840 Civil Appeal No 202/1995 में Next Date of hearing 01.04.2019 के बाद क्या आदेश हुए हैं ,की प्रति उपलब्ध करवार्य यदि उपलब्ध हो ।

> नायव तहसीलदार उप तहसील कोटला

Truia your a unions moralis

40119 of STONIE TO TIMES पटवारी रिपाल व राजस्व काराजात की मां का पर जो कर हानवीं मेरेंग पर पाणा ठाणा कि महाल व मांजा सालदा अ गहरमां काराजा गहरमां द्वांची 15/WI VINDIS, (18090) \$1 NOW TOURS 1176/15/100/ 10012 7 4041 0-22-20 85 0 FI 42010 N 71575 74941 माड़ के ध्री का बस्ती किन्ति पूर्ण विद्यान जिस पर कार्च भी जमजाली व अनुसामिल जाना (Scheduled Tribes and other Traditional Forest Durellers HMINN VET SICE AM Non availability of Non Furest Land for Complen Satory Affording a Non Availability of Non Furest Land for Your Third for Your Third of Non Furest Land for Third of Third of The Third of Third of The Third of Third of Third of The Third of Third

Speck Like Kather Fahsikus

# OFFICE OF THE SDO CIVIL), JAWALI DISTRICT\_KANGRA\_(H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee of Sub-Division, constituted under FRA,2006 was held under the chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. SALEEM AZAM, SDO(Civil) JAWALJ on 10-01-2020 at 11-00AM AM/PM at JAWALI (Place) in which the application(s) claiming rights in 00-22-20 HCCl. forest areas under FRA,2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee (s) of SOLDHA Gram Sabha, were discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application:-

Name	of	Applicant	De

Decision (Recommended/not Recommended)

Kecommended

1. A.E HIPWD

2. Kotla

3.

Place: JAWALI

Date: 10-01- 2020

SDO de in Nistana Chairperson

Sub-Division level Committee,

Sub-Division.

अनुसूचित जनजाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम,2006 वन अधिकार समिति ग्रांम सभा..... सीलका प्रतितिपि प्रस्ताव दिनाँक... 6:01:2018 प्रस्ताव संख्या..... बैठक

समिति आम दिनॉक 6:01.18 को ..... 11:00 .... बजे स्थान .. गई जिसमें... स्तालस्य .... गाँव के अनुस्चित जनजाति और अन्य परमुपरागत की मान्यता ) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत ५ 52 साराष्ट्रा टेडी...जंगल/वन क्षेत्र में ( जिसमें...... विभाग \*\* द्वारा रेड सक्तेदा भेड़ है निर्माण के हिं प्रे0 पर्यटन लिये .... खसरा न0 वर्गमी0/हैक्ट. स्थित महाल ...... वन भूमि की उपयोग की मन्जूरी प्रस्तावित है) वन अधिकारों के लिये दावे हेत् प्राप्तं ह्ये गाँव वासियों के वन अधिकारों के आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमान्सार सही पाया गया -वन अधिकार का ब्यौरा जंगल का नाम •पात्र गांव वासी का नाम

U-52 soldta- C. By NOCHIME

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को पारित करने हेतू ग्रांम सभा से इसकी सिफारिश करती है। उपरोक्त में से निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार सही नहीं पाया गया -

•पात्र गांव वासी का नाम क्र0संध

NO CLAME.

तदानुसार यह वन अधिकार समिति इस दावे / इन दावों को निरिस्त करने की सिफारिश करती है।

U-S) Seldle C. अ. जंगल/वन क्षेत्र में कोई भी वन अधिकार का दावा प्राप्त नहीं ह3

दिनोंबा. कि. श : २०१८

ग्रांम सभ्य अस्ति स्थान

Crim Panchard & Oldha

Dev. Stock Nagrota Surian ग्रांम वासी । ग्रांमदासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन किया है।

•• घोजैक्ट। कार्य का नाम जिसके लिये वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि के उपयोग की अनुमति

1 अञ्चानी कुमार डा०भी उत्तम यन द (अहमहा) भीवा 2. दिनेश सिंह अन विभाग आडे

वन अधिकार कमेटी सोलधा पंचायत सोलधा (ज्वाली )हि.पू.

अनुस्चित जनजाति और अन्यपरम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता ) अधिनियम,2006
ग्रांम सभा
प्रतिलिपि प्रस्ताव
प्रस्ताव संख्या 8 गणपूर्ति दिनाँक .०.९० । : २०१३ ग्रंस सभा सीवान
की बैठक आज दिनाँकि । हको। बजे स्थान सी एक भी । श्रीमति की अध्यक्षता
में की गई जिसमें सीलाजा गाँव के अनुसचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों
की मान्यता ) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खसरा न0 किता रकवा है कटा वर्गमी0 स्थित
महाल स्नेलाधा व खसरा न0 किता रकहा हैक्ट स्थित महालजंगल/वन क्षेत्र में
( जिसमें विभाग •• द्वारा,क निर्माण के लिये०-३३-३०हैक्टयर वन भूमि की ( उपयोग
की मन्जूरी प्रस्तावित है ) वन अधिकारों के लिये दावे हेतू प्राप्त हुये गाँव वासियों के वन अधिकारों के
आवेदनों पर चर्चा की गई। वन अधिकारों के प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अध्ययन तथा उस पर
विस्तृत चर्चा के उपरान्त वन अधिकार समिति सभा द्वारा निम्न लिखित पात्रों का दावा नियमानुसार
सही पाया गया -
क्र0सं0 •पात्र ग्राव वासी का नाम जंगल का नाम वन अधिकार का इसौरा
1 NOCLAME U-52 soldha-C4.
2
तदानुसार यह यांम सभा इस दावे / इन दावों को पारित करते हुये इसे उप खण्ड स्तर की समिति को
प्रेषित करती है
क्र0स0 अपात्र ग्रांव वासी का नाम
NOCLAIM
2
तदानुसार यह ग्रांम सभा इस दावे / इन दावों को निरस्त करती है। या
वन भिकार मिमिति में पाप्त सचना के अनुसार USA Selella (14) जयलावन के में ती भी वन
13/14/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/
अधिकार का दावा प्राप्त नहीं हुआ।
स्थान ०६/०। ।।
स्थान . १८ । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
"ग्रांम वासी /ग्रांमवासियों के नाम जिन्होंने इस वन क्षेत्र/जंगल में वन अधिकार के दावे के लिये आवेदन
किया है। Starte Nulan K
•• प्रोजैक्ट/ कार्य का नाम जिसके लिये वन (सरंक्षण) अधिनियम, 1980 के अहत्वर्गत वन भूमि के उपयोग
की अनुमति दी जानी हैं।

वन अधिकार कमेटी सोलधा पंचायत सोलधा (उअली)हि.प. पंचायत सोलधा (उअली)हि.प.

अनुस्चित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार)	वर्गाः मान्यता) अधिनियम् ,2006
गाम समा स्मेरवादम	
विकास खण्ड कारील सामा जिला नग	্রে (हि০प्र०)
प्रतिलिपि प्रस्ताव	
प्रातालाय प्रस्ताय	
	दिनाक 23.10 8
मणपूर्ति	प्रस्ताव संख्या५
विषय ? विभाग / संस्था	of the second
विषय विभाग / संस्था रिकाम के निर्माण हेतू लिने गाँग सके हा मोड से स्ट्रीन जगर्म वन क्षेत्र में प्रस्तावित 0-22-20	वार्यम् वर्गम्स्। त्राधान
जगर्ने वने क्षेत्र में प्रस्तावित 0-22-20	है वटे यर वन भूग
उपयोग की मर्जूरी के लिए सहमति प्रदान करने हेतू।	
याम सभा सोलाधाः	. की बैटक आज दिनांक
. वर्ष का ।। कि बर्ज काम जिल्हा	गर शा स्वानदा
यही गई जिसमें सहायन कार्रियन को कि कि विभाग सरथा को प्रस्ति विभाग हेतू प्रदेश वन भूमि के अपयोग की मंजूरी के लिए	निम्पार सकता मार से च्याना
e-22-20 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग की मुज़री के लिए	सहमति प्रदान करने पर चर्चा की
	* *- · · ·
सभी ग्रामचासियों ने संबंधित वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपय	गेग के उद्देश्यों को पूरी तरह स
के बाद सर्व संम्मिति से यह निर्णय लिया कि यह ग्राम सभा उपरोधत प्रश् सहमत है।	त्ताब कं लिए यन भूमि दिए जाने
ग्राम सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्प	रागत यन नियासी (वन अधिकारी
मान्यता) अधिनेखम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के दावों के निपटेंगरे पर	्री सर्वाकी गर्द तथा को कर्मा
यह पीरित किया गया गया कि लपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन अधिका	न किया है साम के प्राप्त के त
प्रकिया पूरी की जा रही है / कर ली गई है तथा प्रस्तावित 0.22-20	हैवटेयर वन भूभि को सिकंदीड,
सक्ति के हिंद में हा अपनान अस्ती मूर्ण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा	सोलहत्.
	M
रथान सामाटाः अधीव	ृत हरताचारिका हिन्द्रा
न्याम	सामा 🚫
•	
	Pancheyet Secretary
	Gram Panehayat, Sololka.
	Dev. Block Nagrota Surian